

11/8/24	<p>वकुलाय फरीकेन उप/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। मिसल इस्तवा होकर दिनांक 11/8/24 को पेश हो</p>	
03/09/24	<p>वकुलाय फरीकेन उप/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। मिसल इस्तवा होकर दिनांक 3/9/24 को पेश हो</p>	
20/9/24	<p>वकुलाय फरीकेन उप/पीठासीन अधिकारी दिगम प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, मिसल- इस्तवा होकर दिनांक 20/9/24 को पेश हो</p> <p>आदेश 01/10/24 को पेश हो</p> <p>सहायक कलेक्टर (S.D.O), बाईकेर</p>	
07/10/24	<p>पञ्जाबी वकील वादीगठ के जर्नल-पत्र पर मेरा डूई। वादीगठ की ओर ले जाये अखिरकत जर्नल-पत्र पेश कर विवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के वादीगठ के वर्तमान में हित विहित नहीं होने से बाद को जरीदे जमाहशग बिरा करणे का विवेदन किया। जिस पर वकील उन्निवादी को कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>शुकि वादीगठ बाद जमाना नहीं जाते है। मिसलवा वादीगठ का बाद जरीदे किसे बहिष्कृत किया जाता है। पञ्जाबी जर्नल उन्निवादी जरीदे हो</p>	<p>Princk Advocate Plaintiff 21/10/24</p> <p>सहायक कलेक्टर</p>